

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म.प्र ग्वालियर

84



निगरानी प्रकरण कं :-

श्रवण तिथि :-

PBR/ निगरानी (बुरहानपुर) भू.सं) 2018/1917

1. नारायण आयु 55 वर्ष पिता मांगु कोरकु आदिवासी निवासी ग्राम शेखापुर तहसील खकनार जिला बुरहानपुर म.प्र

— आवेदक

— विरुद्ध —

1. छगनलाल आयु 55 वर्ष पिता सानु निवासी ग्राम मांजरोंदखुर्द तहसील खकनार जिला बुरहानपुर म.प्र

— अनावेदक

नामांकित प्रमाणपत्र  
दिनांक 20-3-18  
तक हेतु  
दिनांक 11-4-18 निश्चय।

पुनरीक्षण याचिका म.प्र भू.सं.संहिता की धारा 50 के अंतर्गत

यह कि आवेदक माननीय अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय, खकनार के राजस्व प्रकरण क्रमांक 4/अ 70/2014 -15 पक्ष छगनलाल विरुद्ध नारायण के प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 12.03.2018 से व्यथित व असंतुष्ट होकर यह निगरानी श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करता है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य



1. यह कि प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक ने अधिनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष म.प्र भू.सं.संहिता की धारा 250 के अंतर्गत आवेदक से वादग्रस्त कृषि भूमि का कब्जा प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिसकी राजस्व प्रकरण क्रमांक 4/अ 70/2014 -15 है।

- 2 यह कि उक्त प्रकरण में माननीय अधिनस्थ विचारण न्यायालय

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रपत्र

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/बुरहानपुर/भूरा/2018/1917

| स्थान व दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश   | पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर |
|----------------|--|--------------------------------------|
| 07-03-19       | <p>प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 28-5-2019 को जिला कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों। उभयपक्ष सूचित हो।</p> <p><br/>21/32</p> <p><br/>अध्यक्ष</p> |                                      |